भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग मुबई क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION MUMBAI REGIONAL OFFICE



CERTIFICATE OF REGISTRATION पंजीकरण प्रमाण पत्र

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

सख्या N-13.02212

करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एड्वंज फ़ाइनेंसिंग प्राईवेट लिमिटेड झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करने / करते रहने के लिए यह दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ

पजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934
EDUVANZ FINANCING PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

नवम्बर दो हज़ार

तीसवीं वारीख को जारी किया गया।

Seventeen

संबह

Given under my hand at November

Two Thousand Mumbai

this

Thirtieth

day of

कुमार सिन्हा / Ajay Kumar Sinha)

(अजय

(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager

- पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।
- आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।
- आपकी कंपनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों, आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।
- 4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये :-

"कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक

का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी / देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।"

- ७आपकी कंपनी को जनता की जमार्राशियां स्वीकार करने / रखने की अनुमित नहीं है।
- 6. *आपकी कंपनी को जनता से फिलहाल कोई भी जमार्याश स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दो वर्ष की अविध तक परिचालन में रहने के बाद यदि कंपनी जनता से जमार्याशयां जुटाना चाहे तो वह दो वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और किसी मान्यता प्राप्त साख निर्धारण एजेंसी से मीयादी जमार्याशयों के लिए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है। आपकी कंपनी हमसे विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जनता की जमार्याश स्वीकार करेगी।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये।
- @ उन कंपनीयों पर लागू, जिन्हें उनके बोर्ड के इस संकल्प के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमित के बिना जनता की जमाराशियां स्वीकार न करें।
- अनवरी 9, 1997 को या उसके बाद निगमित नयी कंपनियों पर
 लागू।

- 1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
- 2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- 3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines / instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it.
- 4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under:

present position as to the financial soundness of the liabilities by the company." company and for repayment of deposits / discharge of company or for the correctness of any of the statements does not accept any responsibility or guarantee about the Reserve or representations made or opinions expressed by the Reserve Registration dated "The company Bank of India Act, 1934. However, the RBI Bank of India under Section 45 IA of the is having а valid issued Certificate the of

5@.Your company is not allowed to accept / hold public deposits.

- 6*. Your company must not accept any public deposits for the time being. After the company has been in operation for a period of two years, if it intends to raise public deposits, it may approach the Bank with the audited Balance Sheets for two years and a credit rating for fixed deposits from one of the recognised rating agencies. Your company will accept public deposits only after obtaining specific approval from us.
- 7. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.
- @ Applicable to companies, to whom Certificate of Registration has been issued on the basis of their Board Resolution not to accept public deposits without prior written permission of RBI.
- * Applicable to new companies incorporated on or after January 9, 1997